दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

महत्वपूर्ण एवं खास

रायगढ़ पुलिस की मुहिम में अपनी जिम्मेदारी का बोध पाकर गदगद शहरवासी

रायगढ़(आरएनएस) पुलिस द्वारा आज शहर के उन तमाम कोरोना योद्धाओं को गुलाब फूल के साथ उनके महत्वपूर्ण कर्त्तव्य को दर्शाने वाले मैसेज प्लेकार्ड से प्रमुख चौंक-चौराहों पर अभिनंदन कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश प्रातः 09 बजे से दोपहर 02 बजे तक संचालित होंगे दुकान

बालोद, (आरएनएस) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू ने आदेश जारी कर कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्यालयीन आदेश के द्वारा बालोद जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 दिनांक 03 मई 2020 तक के लिए लागू की गई है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र के द्वारा, गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के संदर्भ में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉटस के भीतर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्र में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति देते हुए निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त वर्णित सूची में वृद्धि करते हुए (कोविड-19) के शर्तों के पालन करने की स्थिति में पूर्णतः तालाबंदी (लॉकडाउन) में निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती है। जारी आदेश के अनुसार बालोद जिला सीमा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुकान/प्रतिष्ठानों (भारत सरकार के गाईडलाइन में दिए गए अनुमेय दुकान/प्रतिष्ठान) के संचालन हेतु समय प्रातः 09 बजे से दोपहर 02 बजे तक छूट प्रदान की जाती है। उक्तानुसार दुकानों के संचालन के लिए संचालक कोविड-19 के दिशा निर्देश एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा तथा संचालक, स्टॉफ एवं ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय में जिला दंडाधिकारी श्री पाठक ने जारी किया आदेश

जांजगीर-चांपा(आरएनएस) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनक प्रसाद पाठक ने कोरोना वायरस के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण हेतु जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 144 की प्रभावशीलता 3 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री जनक प्रसाद पाठक ने निम्नलिखित आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समस्त पंजीकृत दुकानों को (नोबेल कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत सरकारध्राज्य शासन, जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन एवं एडवाइजरी सोशल डिस्टेंस एवं 50 प्रतिशत कर्मचारी की उपस्थिति में मास्क पहनने के निर्देश के साथ) संचालन की अनुमति दी गई है। शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत सभी एकल दुकाने आस-पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसर में स्थित दुकानों को (नोबेल कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत सरकार, राज्य शासन, जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन एवं एडवाइजरी सोशल डिस्टेंस एवं 50 प्रतिशत कर्मचारी की उपस्थिति में मास्क पहनने के निर्देश के साथ) खोलने की अनुमति होगी। किंतु मार्केट की दुकानें मार्केट, कांप्लेक्स एवं शॉपिंग माल को खोलने की अनुमति नहीं होगी

लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन नही करने पर 22 हजार 400 रुपये का जुर्माना

बेमेतरा (आरएनएस) वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे है। बेमेतरा जिले के विकासखण्ड नवागढ़ मे आज मंगलवार को श्री डी.आर. डहिरे अनुविभागीय अधिकारी (रा) नवागढ़ के निर्देशन एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री यमन देवांगन के नेतृत्व में नगर में बिना मास्क लगाए घूम रहे नागरिकों एवं शोसल डिस्टेंसिंग का पालन नही करने वाले के ऊपर कार्यवाही किया गया इसके तहत 22 हजार 400 रुपये का जुर्माना किया गया। जिसमें 34 लोगो के ऊपर बिना मास्क लगाने 3400 रुपये, 36गढ़ जीन्स कार्नर के ऊपर सोशल डिस्टेंस का पालन नही करने पर 1000 रुपये, गुटखा विक्रय जग-जननी जनरल स्टोर्स एवं लखन तम्बोली के ऊपर 5000-5000 हजार है।

ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के दौरे पर एसपी रायगढ़

अधिकारियों को दिये निर्देश लोगों की खरीदारी के लिये लैलूंगा की दुकानें खुलवाएं , लैलूंगा पुलिस प्रभावित लोगों में पर्याप्त खाद्य सामाग्री और प्लास्टिक की चादरें की करें व्यवस्था , लैलूंगा और तमनार से लगे ओडिसा बार्डर के दो बेरियर का किये निरीक्षण, लैलूंगा, तमनार और घरघोड़ा में देखे लॉकडाउन की स्थिति, घरघोड़ा में एन.एस.एस. वालेंटियर्स को दिये आवश्यक निर्देश.

न्यायसाक्षी/रायगढ़। दिनांक को तेज आंधी, भारी ओलावृष्टि से लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम करवारजोर, कुरोपहरी, चिराईखार और लोहरडांड में बहुत से घरों के छप्पर उड़ गए, इतनी ज्यादा आलावृष्टि हुई कि घर अंदर रखे खाने-पीने की वस्तुओं को भी काफी नुकसान हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लोगों को राहत दिलाने के लिये कल से इन गांवों में नुकसानी का सर्वे किया जा रहा है। लैलूंगा पुलिस को जानकारी होने पर एस.डी.ओ.पी. धरमजयगढ़ के साथ थाना प्रभारी लैलूंगा, तमनार, घरघोड़ा और पूंजीपथरा व उनके स्टाफ जाकर इन गांवों में ततकाल रूप से प्रभावित लोगों को पुलिस टीम द्वारा खाद्य सामाग्री एवं टुटे घरों के छतों को ढकने के लिये प्लास्टिक का वितरण कर राहत पहुंचाया गया था।

आज स्वयं पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा इन प्रभावित गांव में जाकर लोगों से मिले उनके मकान एवं सामनों को हुये नुकसान की जानकारी लिये। ओलावृष्टि से ग्राम करवारजोर में भारी नुकसान हुआ है। ग्राम करवारजोर में घरों के छतों के टुट फुट को देखकर टी.आई लैलूंगा को बोले तुरंत प्लास्टिक की चादरें इन घरों के लिये व्यवस्था करें और सभी गांव में अधिक से अधिक खाद्य सामाग्री देकर गांववालों को राहत पहुंचाई जाये और वहां उपस्थित एस.डी.ओ.पी. धरमजयगढ़ को बोले की आसपास की एवं लैलूंगा शहर की सभी जरूरी दुकानों को खुलवायें जिससे लोग अपनी जरूरत की चीजें ले सके। थोडे ही देर में थाना प्रभारी लैलूंगा किरण गुप्ता द्वारा 03 क्विंटल सूखा राशन पंचायत में गांव वालो को देने के लिए दिया गया और दुकानें खुलवाकर प्लास्टिक की चादरों की व्यवस्था कराई गई।

इसके उपरांत एसपी रायगढ़, एस.डी.ओ.पी. धरमजयगढ़ और थाना प्रभारी लैलूंगा के साथ किलकिला चेक पोस्ट होते ओडिसा से लगे गांव का दौरा कर जमुना बेरियर और हमीरपुर बेरियर जाकर चेक किये। मौके पर तैनात स्टाफ को हिदायत दिये की ढील नहीं बरतनी है, आवश्यक कामों में लगे वाहन आयेगें-जायेंगे, इसके अलवा अन्य कोई नहीं, मुस्तैदी से ड्यूटी करें।

उसके बाद थाना तमनार एवं घरघोड़ा जाकर लॉक डाउन की स्थिति देखें, घरघोड़ा पहुंचकर खरीदी के समय बाजार एवं आसपास के दुकानों का भ्रमण किये। इस दौरान पुलिस के साथ एन.एस.एस. के वालेंटियर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते दिये। जिनके कार्यों की प्रशंसा कर उनका उत्साहर्धन किये और उनके द्वारा एन.एस.एस. के वालेंटियर को लोगों के साथ सौहदपूर्ण व्यवहार करने को कहा गया।

रायगढ़ जिला 31 जुलाई तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित

सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नये नलकूप का नहीं किया जा सकेगा खनन कलेक्टर यशवंत कुमार ने जारी किया आदेश

न्यायसाक्षी/रायगढ़। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने रायगढ़ जिले में आगामी ग्रीष्म ग तु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु छ.ग.पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण रायगढ़ जिले को 31 जुलाई 2020 तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।

उक्त अधिनियम के अंतर्गत रायगढ़ जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नही किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय एजेंसी-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगर पालिक निगम, नगर पालिक परिषद एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से विधिवत अनुमति लेनी होगी। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अनुविभागीय अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसी भी अनुविभाग क्षेत्र के अंतर्गत नलकूप खनन के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम)की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर ने समस्त प्राधिकृत अधिकारी को निर्देशित किया है कि अपने-अपने कार्य क्षेत्र में छ.ग.पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार

शहर के कोरोना योद्धाओं का गुलाब फूल और मैसेज प्लेकार्ड से अभिनंदन

न्यायसाक्षी/रायगढ़। से लागू हूये लॉक डाउन को देशभर में एक माह से अधिक समय हो गया है। हर जिले की तरह इस जिले में भी जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक के लिये लॉक डाउन का शतप्रतिशत पालन करना सबसे बड़ी चुनौती थी। इस दौरान राज्य सरकार से प्राप्त महत्वपूर्ण दिशा निर्देश एवं जिले के शीर्ष अधिकारियों द्वारा सभी विभागों से बैठाये गए तालमेल एवं जमीनी स्तर पर किये गए कार्य के परिणाम स्वरूप जिला कोरोनावायरस से संक्रमण मुक्त है। जिले के तमाम विभागों की मेहनत सार्थक जब होती है, जब जिलेवासी स्वयं अपनी जिम्मेदारी जानकर घरों में रहते हैं और आवश्यक काम से बाहर निकलने पर शारीरिक दूरी का पालन करतें हैं।

रायगढ़ पुलिस की बात की जाये तो रायगढ़ एसपी श्री संतोष कुमार सिंह की टीम, जिले में लगातार लोगों को समझाइस देकर घरों में रहने, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने की अपील की गई तो कभी पुलिस की सख्ती और बेवजह बाहर घूमने वालों के वाहनों की जब्ती कार्यवाही भी देखने को मिली। जिला प्रशासन और रायगढ़ पुलिस की लॉक डाउन में सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि औद्योगिक जिले से मजदूरों का पलायन रोका गया, उनकी समुचित व्यवस्था कराई गई। अंतरजिला व अंतर्राज्यीय बॉर्डर को सील किया गया परन्तु अति आवश्यक सेवाओं वाली वाहन इससे प्रभावित नहीं हुये। जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशित छूट के समय पुलिस स्टाफ लोगों को अनावश्यक न निकलने और जरूरी काम से बाहर निकलने पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाईश देते नजर आ रहे हैं।

आज शहर में अधिकारीगण और थानेदार शहर के कोरोना वारियर्स स्वच्छता कर्मी, प्रेस मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, विद्युत सेवक, पुलिसकर्मी, अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखने वाले जिम्मेदार नागरिकों को उनके गंतव्य में जाने के दौरान गुलाब का फूल और उन्हें मोटीवेट करने वाले एक मैसेज का प्लेकार्ड दिया

बोर कमरे में छिपाकर रखी गई 125 लिटर शराब जप्त, सारंगढ़ पुलिस की कार्यवाही की

न्यायसाक्षी/रायगढ़। शहर में बाईक पर शराब पार करते युवक को कोतरारोड़ पुलिस ने पकड़ा अवैध शराब पर पुलिस की कार्यवाही से त्रस्त शराब कोचिए घर, गांव से दूर शराब छिपा कर रखा जाने लगा है और वे अपने ग्राहकों को वहीं शराब खरीदने बुलाते हैं। ऐसी ही सूचना थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक आशीष वासनिक को दिनांक 25.04.2020 को मिली कि ग्राम भीमसेनडी का दिलीप जायसवाल नाला किनारे बोर वेल्स कमरा में शराब छिपाकर रखता है और वहीं से शराब बिक्री कर देता है। सूचना पर सारंगढ़ लिस द्वारा रेड किया गया, दिलीप जायसवाल वहां छिपते नजर आया जिसे पुलिस ने पकड़ा उस कमरे से पुलिस को 15-15 लीटर के डिब्बा मे भरा हुआ करीब 125 लिटर महुआ शराब मिला है जिसे जप्त किया गया। आरोपी दिलीप जायसवाल पिता सहदेव जायसवाल उम्र 20 वर्ष साकिन भीमसेनडीह को पकड़ कर थाने लाये गया जिसके विरूद्ध धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

शहर में आज एक दफा फिर शराब की तस्करी करते हुये कोतरारोड़ पुलिस द्वारा आरोपी

धनेश्वर सिदार पिता चक्रधर सिदार उम्र 28 वर्ष सा0 बघौत थाना डभरा जिला जांजगीर चाम्पा को नवापारा से अरसीपाली जाने वाले रास्ते पर मो0सा0 क्र. छ्त्र13च 4377 में शराब ले जाते हुए पकड़े। आरोपी के पास से 12 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना कोतरारोड़ में धारा 34(2) 59(क) आब. एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

कोरोना से सीधे टक्कर ले रहा है स्वास्थ्य विभाग

जिले को सुरक्षित रखने में निभा रहा है महती भूमिका , विभाग अब तक कर चुका है 6683 लोगों की स्क्रीनिंग और 33207 घरों का सर्वे, 447 सैंपल लेकर भेजा है जांच के लिए

न्यायसाक्षी/रायगढ़। कोरोना वायरस ने सम्पूर्ण विश्व के समक्ष एक अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न कर दी है। मानव जीवन की सलामती के लिए कोरोना के विरूद्ध लड़ाई कई मोर्चो पर एक साथ लड़ी जा रही है। शासन, प्रशासन, पुलिस, समाज, आम नागरिक सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कोरोना को हराने में लगे हुए है। किन्तु इन सब के बीच अगर कोई है जो कोरोना के विरूद्ध प्रथम पंक्ति में रहकर उससे सीधे टक्कर ले रहा है तो वह है स्वास्थ्य महकमा।

कोरोना संकट के समय स्वास्थ्य विभाग पर्दे के पीछे रहने वाले उन अनसंग हीरोज की तरह है जो सबसे महत्वपूर्ण और रिस्की काम को अंजाम दे रहे हैं। फिर बात चाहे किसी की स्क्रीनिंग या जांच करनी होए सेम्पल लेना होए घर-घर जाकर कम्यूनिटी सर्वेलेंस करना जैसे काम हो या क्वारेंटाईन में रखे लोगों की देखभाल करना हो या जनजागरूकता फैलानी हो। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स, नर्सेज, लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, स्वीपर, एम्बुलेंस चालक के साथ विभाग के प्रशासनिक अधिकारी पूरी कर्तव्यनिष्ठा से सभी कार्यों को कर रहा है। यह प्रशासन, पुलिस के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग की कड़ी मेहनत का परिणाम है कि कोरोना अभी तक रायगढ़ जिले में दस्तक नहीं दे पाया है।

कोरोना से रायगढ़ जिले को सुरक्षित रखने में स्वास्थ्य विभाग की 1249 लोगों की टीम दिन रात काम कर रही है। जिनमें मेडिकल स्टाफ के साथ साथ कार्यालयीन व अन्य स्टाफ शामिल हैं। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज की टीम भी कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए बनाए कोविड अस्पताल में हरदम तैनात है। अब तक विभाग द्वारा विदेश से लौटे 214 लोग तथा अन्य राजयों से आये 6469 लोगों सहित कुल 6683 लोगों की स्क्रीनिंग कर इन्हें होम आइसोलेशन में रख उनकी नियमित निगरानी कर रहा है। इसके साथ 447 सैंपल ले कर जांच के लिए भेजे गए हैं। एक्टिव सर्विलांस के तहत 33207 घरों का सर्वे किया गया है।

कोटा से आये विद्यार्थियों की संपूर्ण व्यवस्था एवं सुरक्षा इत्यादि के लिए जिला पंचायत सीईओ चौधरी नोडल अधिकारी नियुक्त

न्यायसाक्षी/रायगढ़। राजय शासन के निर्देशानुसार कोटा (राजस्थान)में अध्ययनरत जिले के छात्र-छात्राओं को कोटा से अपने गृह निवास लाया जा रहा है। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार द्वारा उनके आगमन पश्चात चिन्हित स्थानों में क्वारेंटाईन में रखे जाने एवं वर्तमान में कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु आने वाले छात्रों की संपूर्ण व्यवस्था एवं सुरक्षा आदि के लिए जिला

पंचायत सीईओ सुश्री ग चा प्रकाश चौधरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है तथा उनके सहयोग हेतु डिप्टी कलेक्टर श्री श्रवण कुमार टंडन एवं सुश्री अभिलाषा पैंकरा को आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी तौर पर ड्यूटी लगाई है।

जिले में 33207 घरों का एक्टिव सर्वेलेंस पूर्ण

जिले में अन्य राजयों से आये 6469 में से 779 यात्री होम आईसोलेशन में , जिले में आज तक कोई भी कोरोना के पाजिटिव मरीज नहीं

न्यायसाक्षी/रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 01 जनवरी 2020 के बाद विदेशों से कुल 214 यात्री आये हैं जिसमें से 214 यात्रियों का होम आईसोलेशन एवं क्वारेंटाईन की अवधि 28 दिवस पूर्ण हो चुका है।

जिले में अन्य राजय से अब तक कुल 6469 यात्री आये हैं जिसमें से 5690 यात्रियों का होम आईसोलेशन की अवधि 28 दिवस पूर्ण हो चुका है। शेष 779 यात्रियों को होम आईसोलेशन में रखा गया है एवं सतत् निगरानी की जा रही है। जिले में कुल 448 व्यक्तियों का सेम्पल संग्रहण कर जांच हेतु भेजा गया है। जिसमें से 324 व्यक्तियों का रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुआ है। शेष 123 का रिपोर्ट अप्राप्त है। वर्तमान में जिले में किसी भी व्यक्ति में कोविड-19 बीमारी के लक्षण नहीं पाये गये है एवं आज दिनांक तक कोई भी कोविड-19 के पॉजिटीव मरीज नहीं है।

10 मार्च के बाद प्रभावित अन्य राजयों से आए 1425 व्यक्तियों का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में एक्टिव सर्वेलेंस किया जा रहा है। अब तक कुल 33207 घरों का सर्वे पूर्ण कर लिया गया। सर्दी-खांसी व बुखार के लक्षण वाले को चिन्हांकित कर सूची तैयार की जा रही है। कोरबा व कटघोरा से आने वाले व्यक्तियों को होम क्वारेंटाईन में रखकर प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है आवश्यकता पड़ने पर सैम्पल लिया जावेगा।

अम्बिकापुर शासकीय कार्य के लिए जूम वीडियो कांफ्रेन्सिंग एप्लीकेशन पर प्रतिबंध

अम्बिकापुर (आरएनएस) शासकीय कार्य के लिए जूम मीटिंग प्लेटफार्म या जूम वीडियो कांफ्रेन्सिंग एप्लीकेशन का उपयोग न करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग रायपुर परिपत्र जारी कर दिया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि गृह मंत्रालय,भारत सरकार के अधीन साइबर कॉर्डिनेशन सेंटर साईकॉर्ड एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अधीन सीईआरटी ने जूम मीटिंग प्लेटफार्म या जूम वीडियो कांफ्रेन्सिंग एप्लीकेशन के सुरक्षित उपयोग पर एडवाईजरी जारी की है। इस एडवाईजरी के अनुसार यह प्लेटफार्म सुरक्षित नहीं है। इसलिए शासकीय बैठकों एवं वीडियो कांफ्रेन्सिंग के साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से जूम मीटिंग प्लेटफार्म या जूम वीडियो कांफ्रेन्सिंग एप्लीकेशन का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है।

मनरेगा अंतर्गत रिक्त संविदा पदों की अंतिम चयन सूची जारी

अभ्यर्थी को 10 मई तक करना होगा कार्यभार ग्रहण
अधिक जानकारी के लिए जिला पंचायत कार्यालय रायगढ़ करें संपर्क

न्यायसाक्षी/रायगढ़। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिला पंचायत रायगढ़ अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारी, सहायक ग्रेड-3, लेखापाल, तकनीकी सहायक एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर की संविदा पद की नियुक्ति हेतु अंतिम चयन सूची जारी की गई है। उक्त चयनित अभ्यर्थी को जिला पंचायत रायगढ़ के शाखा में समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति दो सेट के साथ 10 मई 2020 को कार्यभार ग्रहण/उपस्थिति प्रस्तुत करना होगा। नियत तिथि तक पदभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिला पंचायत कार्यालय रायगढ़ में कार्यालयीन दिवस में संपर्क कर सकते है।

कार्यक्रम अधिकारी पद हेतु योगेश चन्द्रा, विरेन्द्र कुमार डनसेना, कमलेश कुमार मेहरा एवं प्रफुल्ल किन्डो को चयनित किया गया है।

सहायक ग्रेड-3 पद हेतु बंशीलाल कुम्हार, संजय कुमार पटेल, देवर्षि चौधरी, भारती विश्वाल, मत्तु लाल एवं घनश्याम पटेल का चयन किया गया।

लेखापाल पद हेतु हरिशंकर देवांगन, लक्ष्मीकांत चंद्रवंशी, नीरज कुमार वैष्णव, रोशनी गुप्ता, मनिषा एवं राज निखिल यादव शामिल है।

तकनीकी सहायक पद हेतु अंजली चौधरी, गुलशन पटेल, तापस मण्डल, श्वेता सिंह, श्रद्धा वर्मा, अविनाश सिंह ठाकुर, किशन पटेल, वोपेन्द्र साहू, मुकेश कुमार बैरागी, धनवान सिंह आदिले, मिथिलेश बंजारे, अंजना नाग, चन्द्रमणी कुमार, मधु सिदार, कविता ठाकुर, नीशा, रेणुका मिंज, भावना आर्मो, कोमल सिंह, राजन अघरिया, रिचा चन्द्राकर, दिलीप पटेल एवं व्यास नारायण साहू शामिल है।

डाटा एन्ट्री आपरेटर पद हेतु बजरंग चौहान, उत्तम कुमार निषाद, घनश्याम पटेल, डमरूधर पटेल, अजय चौहान, बंशी लाल कुमार, मीना साहू, रेनूका केशरवानी, मनीषा गुप्ता, देवादास बघेल, हीरालाल अजय, दीपक कुमार, पिंकी कुमारी, अरूण कुमार मिंज, अश्विनी सिदार, जानकी कंवर, कपिल देव, संगीता यादव, देवाशिष, प्रवीण कुमार एवं चन्द्रमोहन चन्द्रा को

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480